न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 21/2018 – निगरानी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत भादवों की कोटडी जरिये भंवरलाल पुत्र सुवालाल जाट निवासी भादवों की कोटडी तहसील हुरडा जिला भीलवाडा	बनाम	1. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादवों की कोटडी तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
–निगराकार		– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व पत्रावली कमांक 41 दिनांक 17.12.2004 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादवों की कोटडी तहसील हुरडा

उपस्थित –

1. श्री परमेश्वर लाल शर्मा अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – गैर निगराकार की ओर से

निर्णय

दिनांक 24.06.2019

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व गैर निगराकार के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तत्कालीन ग्राम पंचायत राजकीय माध्यमिक विद्यालय भादवों की कोटडी वर्तमान में कमोन्नत होकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में खेल मैदान के लिये पटटे में उल्लेखित भूमि आवंटन कर 11.12 बीघा भूमि का विधिक प्रकिया अपनाये बिना ही पंचायतीराज अधिनियम के नियमों के विरूद्व पटटा जारी कर दिया। तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा उक्त विद्यालय को जारी पटटा ऑडिट प्रकिया में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 157 के तहत 500 वर्गगज से अधिक भूमि राज्य सरकार का पुर्वानुमोदन किये बिना ही जारी करने से उक्त पटटा वैध नही माना गया। उक्त विद्यालय को सरकार व ग्राम पंचायत द्वारा 20 बीघा भूमि खसरा सं. 1546/4 व 4.11 बीघा खसरा सं. 2182/1611 में आवंटित कर दी । जिसमें वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का नया भवन निर्मित होकर विद्यालय संचालित होकर शिक्षण कार्य चल रहा है एवं कुल 24.11 बीघा भूमि विद्यालय के लिये पर्याप्त भूमि है। पूर्व में तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित पटटाशुदा 11.12 बीघा भूमि विद्यालय कमोन्नत होकर नये भवन में चले जाने से ग्रामवासी अवैध अतिकमण कर गांव की बेशकीमती जमीन पर अतिकमण कर बाडे बना रहे है और आये दिन अतिकमण करने को आमादा है। तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियमों के विरूद्व पूर्व में पटटा जारी करने व विद्यालय को अन्यत्र जगह 24.11 बीघा भूमि आवंटित होने से उक्त पटटाशुदा भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा जन उपयोग के लिये सामुदायिक भवन, पशु चिकित्सालय, आयुर्वेद चिकित्सालय, भवन बनाना प्रस्तावित है। इसलिये तत्तकालीन ग्राम पंचायत द्वारा जारी 11.12 भूमि का पटटा खारिज करना न्याय व ग्राम हित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना हैं कि निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पटटा पंचायत भादवों की कोटडी दिनांक 17.12.2004 कमांक सं. 41 को निरस्त फरमायें जाने की कृपा करावें।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 06.03.2018 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये व ग्राम पंचायत नेगडिया से पत्रावली तलब

की गयी। गैर निगराकार की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया।

उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 09 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि तत्कालीन ग्राम पंचायत राजकीय माध्यमिक विद्यालय भादवों की कोटडी वर्तमान में क्रमोन्नत होकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में खेल मैदान के लिये पटटे में उल्लेखित भूमि आवंटन कर 11.12 बीघा भूमि का विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही पंचायतीराज अधिनियम के नियमों के विरूद्व पटटा जारी कर दिया। तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा उक्त विद्यालय को जारी पटटा ऑडिट प्रक्रिया में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 157 के तहत 500 वर्गगज से अधिक भूमि राज्य सरकार का पुर्वानुमोदन किये बिना ही जारी करने से उक्त पटटा वैध नही माना गया। उक्त विद्यालय को सरकार व ग्राम पंचायत द्वारा 20 बीघा भूमि खसरा सं. 1546/4 व 4.11 बीघा खसरा सं. 2182/1611 में आवंटित कर दी। जिसमें वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का नया भवन निर्मित होकर विद्यालय संचालित होकर शिक्षण कार्य चल रहा है एवं कुल 24.11 बीघा भूमि विद्यालय के लिये पर्याप्त भूमि है। पूर्व में तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित पटटाशुदा 11.12 बीघा भूमि विद्यालय क्रमोन्नत होकर नये भवन में चले जाने से ग्रामवासी अवैध अतिक्रमण कर गांव की बेशकीमती जमीन पर अतिक्रमण कर बाडे बना रहे है और आये दिन अतिक्रमण करने को आमादा है। तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियमों के विरूद्व पूर्व में पटटा जारी करने व विद्यालय को अन्यत्र जगह 24.11 बीघा भूमि आवंटित होने से उक्त पटटाशुदा भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा जन उपयोग के लिये सामुदायिक भवन, पशु चिकित्सालय, आयुर्वेद चिकित्सालय, भवन बनाना प्रस्तावित है। इसलिये तत्तकालीन ग्राम पंचायत द्वारा जारी 11.12 भूमि का पटटा खारिज करना न्याय व ग्राम हित में आवश्यक है। प्रार्थना हैं कि निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पटटा पंचायत भादवों की कोटडी दिनांक 17.12.2004 क्रमांक सं. 41 को निरस्त फरमायें जाने की कृपा करावें।

गैर निगराकार की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि सन् 2004 में तत्कालीन ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार विद्यालय को खेल मैदान के लिये पटटे में उल्लेखित भूमि 11.12 बीघा भूमि का विधिक प्रक्रिया अपनाकर दिनांक 17.12.2004 को आवंटन किया गया था। जिसका पटटा पंचायत ने विधिक रूप से जारी किया था। यह पटटा आराजी नं. 2243/1575 में स्थित है। निगराकार भंवरलाल जाट ही उस समय ग्राम पंचायत भादवों की कोटडी का सरपंच था और उसी ने व सचिव ने सही तौर से विधिक प्रक्रिया अपनाकर पटटा जारी किया था। अब उसी सरपंच का यह कहना कि विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही पटटा जारी कर दिया जो सरासर झूठ के अलावा कुछ नही है। अब अगर वही सरपंच कहता है कि पटटा गैर कानूनी रूप से जारी किया गया तो ऐसे सरपंच के विरूद्व विभागीय व आपराधिक कार्यवाही की जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत द्वारा अगर 500 वर्गगज से अधिक भूमि का कोई पटटा जारी किया जाता है तो उसकी अनुमोदना की जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायत की ही होती है। इस आवंटन बाबत् ऑडिट सन् 2007 में ही हो गयी थी। जिसकी जानकारी निगराकार को थी तो क्यों नही निगराकार ने उस वक्त निगरानी पेश की। निगराकार द्वारा यह निगरानी ऑडिट होने के तीन माह के अंदर पेश नही की जो स्पष्ट रूप से अवधि बाहर होने से निरस्तनीय है। उक्त ऑडिट प्रक्रिया में अन्य राजकीय विद्यालयों को जारी पटटों में भी पूर्वानुमोदन/सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने का अभाव पाया गया था, किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा केवल गैर निगराकार को किये आवंटन के विरूद्व ही यह निगरानी पेश की है। जब एक जैसी विधिक प्रक्रिया अपनाकर एक ही दिनांक को ग्राम पंचायत द्वारा अलग अलग राजकीय विद्यालयों को भूमि आवंटित की गयी है तो एक आवंटन वैध व दूसरा अवैध किस प्रकार से हो सकता है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय भादवों की कोटडी क्रमोन्नत होकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हो गया है । जिससे वहां काफी बच्चे पढने आते है और बाहर से भी काफी बच्चे यहां आकर अध्ययन कर रहे हैं एवं इस

विद्यालय के पास खैल मैदान हेतु पर्याप्त भूमि नही होने के कारण ही उक्त 11.12 बीघा भूमि का आवंटन गैर निगराकार विद्यालय को किया गया। निगराकार द्वारा अपनी निगरानी में जिस 4.11 बीघा भूमि का उल्लेख किया गया है वह बारानी कृषि भूमि होकर विद्यालय भवन से करीब 02 किलोमीटर दूर स्थित है। जबकि उक्त खेल मैदान हेतु आवंटित 11.12 बीघा भूमि विद्यालय भवन से मात्र 200 मीटर की दूरी पर ही स्थित हैं, जिससे विद्यालय में आने वाले बच्चों को काफी सुविधा रहती है। निगराकार को आवंटित पटटाशुदा 11.12 बीघा भूमि पर पंचायत द्वारा दुष्प्रचारित पटटा खारिजी के कारण ही अतिक्रमण को बढावा मिला है, जिसकी गैर निगराकार द्वारा ग्राम पंचायत भादवों की कोटडी, उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा, विकास अधिकारी पंचायत समिति हुरडा, तहसीलदार हुरडा आदि समस्त उच्चाधिकारियों को समय समय पर पत्र लिखकर कार्यवाही करवायी गयी है। इस आवंटित पटटाशुदा भूमि को विद्यालय द्वारा अतिक्रमण मुक्त करवाकर वर्तमान में विद्यालय द्वारा इस पर विभिन्न खेलों हेतु खम्भे आदि लगाये हुये है जिस पर विद्यालय के विद्यार्थी खेल खेलते है। वर्तमान में उक्त 11.12 बीघा भूमि अतिक्रमण मुक्त होकर इस भूमि पर विद्यालय के नाम का बोर्ड भी लगा हुआ है। ग्राम भादवों की कोटडी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय बागरिया बस्ती , दोनों भवन खाली पड़े हुए हैं । जिनमें सामुदायिक भवन, पशु चिकित्सालय , आयुर्वेद चिकित्सालय आदि संचालित हो सकते है। जिससे पंचायत का राजस्व भी बचेगा एवं बेशकीमती राजकीय भवन भी नकारा व खण्डर होने से बच जायेगें। निगराकार द्वारा गैर निगराकार को आवंटित पटटेशुदा भूमि को हडपने व उसके प्लॉट काटकर उनके पटटे जारी करने के गलत उद्देश्य से ही यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है जो आधारहीन होने से निरस्तनीय है। निवेदन है कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत कोटडी ने ग्राम कोटडी की आबादी भूमि आराजी नं. 2243/1575 में 11 बीघा 12 बिस्वा भूमि राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोटडी के नाम राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत निशुल्क पटटा दिनांक 17.12.2004 को जारी किया गया। राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोटडी के नाम आराजी नं. 1546/4 रकबा 20 बीघा भूमि गे.मु. खेल मैदान हेतु 99 वर्ष की लीज पर आवंटन हैं एवं आराजी नं. 2182/1611 में 4.11 बीघा कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड हैं। सरपंच ग्राम पंचायत कोटडी ने ग्राम कोटडी की आबादी भूमि आराजी नं. 2243/1575 में 11 बीघा 12 बिस्वा भूमि राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोटडी के नाम राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत निशुल्क पटटा दिनांक 17.12.2004 को जारी किया गया। इस प्रकार राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोटडी के नाम पर कुल 36.03 बीघा भूमि हैं।

निगराकार ने अपनी निगरानी के साथ इस आशय का दस्तावेज प्रस्तुत किया। **राजकीय विद्यालयों को जारी पटटो का पूर्वानुमोदन/सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने का अभाव –**

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत पंचायत केवल पुराने निर्मित आवासगृह जो पंचायत की आबादी भूमि में स्थित हो, का पटटा जारी कर सकती है। पंचायत द्वारा जारी किया गया पटटा नियम 157 के विपरीत हैं। नियम 162 के प्रावधान अनुसार पंचायत अपनी आबादी भूमि में से 500 वर्ग गज तक की भूमि संबंधित जिला परिषद से पुष्टि कराकर एवं 500 वर्ग गज से अधिक की भूमि राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर विद्यालयों को आवंटित कर सकती हैं परन्तु उक्त प्रकरण में पूर्वानुमोदन प्राप्त नही किया जिससे जारी पटटा अनियमित हैं।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 162 के प्रावधान अनुसार –

162. सरकारी संस्थाओं को आबादी भूमि का आवंटन – (1) पंचायत, आबादी क्षैत्र के भीतर 500 वर्ग गज तक की भूमियां, संबंधित जिला परिषद द्वारा पुष्टि किये जाने के अध्यधीन,

विद्यालय, औषधालय, आंगनबाडी को निशुल्क आवंटित कर सकेगी। (2) कोई भी अन्य निशुल्क या रियायती कीमत पर आवंटन केवल राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से ही किये जायेगें।

तत्कालीन समय में तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत भादवों की कोटडी द्वारा ही राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोटडी के नाम पर आबादी भूमि का आराजी नं. 2243/1575 में 11.12 बीघा भूमि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत निःशुल्क पटटा दिनांक 17.12.2004 को जारी किया गया। इतने वर्षों बाद वही सरपंच जो पटटे जारी करते समय था, उसी सरपंच ने पटटा दिनांक की 17.12.2004 के बारे में अवैधता, अनियमितता, अनुचितता के संबंध में आक्षेप उठाते हुए निगरानी प्रस्तुत की हैं। कानूनी स्थिति धारा 97 के मनन व परिशीलन करना नितान्त आवश्यक हैं। जिस पटटे से कौन पीड़ित हुआ ? या उस आबादी भूमि से कौन हितबद्ध व्यक्ति हैं? वह ही इस पटटे को निगरानी के जरिये चुनौती दे सकेगा। अन्यथा इन दोनों से परे कोई अन्य व्यक्ति उस पटटे से व्यथित या हितबद्ध नही हो सकता। इस निगरानी प्रकरण में दोनों परिस्थितियां विद्यमान नही हैं। इस कारण संबंधित पंचायत को इस पटटे को चुनौती देने का विधिक अधिकार नहीं हैं। परन्तु इस धारा के जरिये इस न्यायालय को स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायत के किसी भी निर्णय में कानूनी खामी पाये जाने पर या अनुचितता पाये जाने पर प्रसंज्ञान लेकर पत्रावली को तलब कर उसकी वैधानिकता या औचित्यता के बारे में परीक्षण करने का अधिकार हैं।

सरपंच ग्राम पंचायत भादवों की कोटडी पत्रावली कमांक 41 दिनांक 17.12.2004 में जारी पटटे के संबंध में निगराकार व्यथित या हितबद्ध व्यक्ति नही होने से निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य नही ठहरती हैं। अतएव –

आदेश

निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का निगराकार व्यथित या हितबद्ध व्यक्ति नही होने से खारिज की जाती हैं। प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादवों की कोटडी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति हुरडा को निर्देश दिये जाते हैं कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाडा के माध्यम से राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोटडी के नाम पर ग्राम भादवों की कोटडी की आबादी भूमि आराजी नं. 2243/1575 रकबा 11.12 बीघा भूमि में जारी पटटा दिनांक 17.12.2004 का राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानानुसार राज्य सरकार से अनुमोदन/निस्तारण कराने की कार्यवाही करावें। निर्णय की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाडा, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादवों की कोटडी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति हुरडा को प्रेषित करते हुए निर्णय की प्रति के साथ मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत भादवों की कोटडी तहसील हुरडा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)